



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 872 राँची, शुक्रवार

20 अग्रहायण, 1937 (श०)

11 दिसम्बर, 2015 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

1 दिसम्बर, 2015

संख्या-1/न.प्र.नि./श.स्था०नि./हड़ताल-110/2015-4386--झारखण्ड लोकल बॉडीज इम्पलाइज फेडरेशन, राँची के साथ दिनांक-07.08.2015 को हुए समझौता वार्ता की कार्यवाही के ज्ञापांक-2789 (अनु.), दिनांक 7 अगस्त, 2015 की क्रम संख्या-4 में अंकित फेडरेशन के द्वारा यह मांग की गयी थी कि राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों की ए.सी.पी. प्रोन्नति, छठा वेतनमान निर्धारण तालिका एवं सेवा पुस्त सत्यापन जिला स्तर पर कराया जाय ।

उपर्युक्त मांग के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के ए.सी.पी. प्रोन्नति, छठा वेतनमान निर्धारण एवं सेवा पुस्त सत्यापन संबंधी कार्य जिला स्तर पर जिला लेखा पदाधिकारी के स्तर से ससमय कराये जायेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
राम नारायण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।
